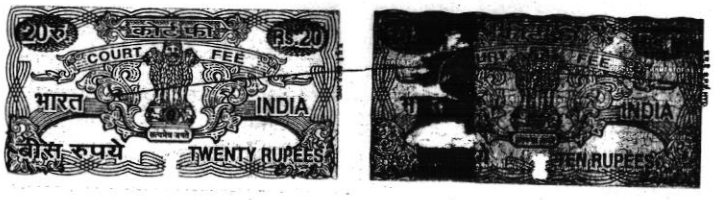

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–हरदा

P.B.R./ निगरानी/हरदा/भू०रा०/2017/2848

श्री .... द्वारा आज दि. 23.8.17 को प्रस्तुत

23.8.17

जमीला बी मृतक द्वारा विधिक वारिसान
1 इमदाद खॉ पुत्र श्री रफाकत खॉ
2 श्रीमती जाहीदा खॉ पुत्री रफाकत खॉ
निवासीगण – वार्ड नं. 29 हरदा (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती शिखा पत्नी नरेश दुबे निवासी – कलेक्टर ऑफिस के पास हरदा (म.प्र.)

.......अनावेदक

23/8/17

न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक हरदा द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/अ–12/2011–12 में संलग्न पंचनामा दिनांक 18.06.2014 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदिका शिखा दुबे द्वारा एक आवेदन पत्र अधीनस्थ विचारण न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक हरदा के समक्ष ग्राम हरदा खुर्द की भूमि खसरा नं. 221/3, 221/7 रकबा 1.416 है0 का सीमांकन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक हरदा द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/अ–12/2011–12 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयीं।

2. यहकि, राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 29.05.2014 को सीमांकन कराये जाने का आदेश ग्राम पटवारी को जारी किया गया एवं पेशी दिनांक 15.06.2014 नियत की गयीं। और प्रकरण दिनांक 19.06.2014 को लिया गया जिसमें सीमांकन कार्यवाही हो गयी अन्य कोई कार्यवाही शेष

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निग./हरदा/भू.रा./17/2848 जमीला बी विरूद्ध शिखा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. दिनांक 27-08-2018 को आवेदिका के अभिभाषक को सुना गया । अनावेदिका शिखा पत्नी नरेश दुबे द्वारा राजस्व निरीक्षक हरदा के समक्ष ग्राम हरदा खुर्द की भूमि खसरा नं. 221/3, 221/7 रकबा 1.416 हे. का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/अ-12/2011-12 दर्ज कर दिनांक 18-06-2014 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3. उभय पक्षों के तर्क श्रवण किये गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । 4. अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक ने आवेदिका जमीला बी को दिनांक 10-06-2014 को सूचना पत्र जारी किया गया परन्तु आवेदिका को सूचना पत्र तामील होना नहीं पाया गया । सूचना पत्र पर जमीला बी के घर पर ताला लगा होना संबंधी टीप अंकित है । इसलिए यह माना नहीं जा सकता की जमीला बी को विधिवत सूचना प्राप्त हुई । इसके अतिरिक्त आवेदक अभिभाषक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन दिनांक 18-06-2014 के पूर्व ही दिनांक 14-02-2014 को आवेदिका की मृत्यु हो गई थी । जिसके समर्थन में उनकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय में मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया । ऐसी स्थिति में बिना सूचना के किसी व्यक्ति के विरूद्ध अतिक्रामक मानते हुए एक पक्षीय कार्यवाही नहीं की जा सकती है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के	

(2) (1)

अनुसार सरहदी काश्तकारों को व्यक्तिश: सूचना दिये जाने केउपरांत ही सीमांकन किये जाने का प्रावधान है । इस संबंध में यह Setlled Law है कि किसी भूमि के सीमांकन के समय पड़ोसी काश्तकारों को सूचना देना अनिवार्य है । इस प्रकरण में आवेदिका की मृत्यु सीमाकन सूचना दिनांक 10-06-2014 के पूर्व दिनांक 14-02-2014 को होना प्रमाणित है और आवेदिका के वारिसों को किसी प्रकार की सूचना भी जारी नहीं की गई थी । दर्शित परिस्थिति में उक्त किये गये सीमांकन को उचित नहीं ठहराया जा सकता ।

5. प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि सरहदी भूमिस्वामी की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी थी, और न ही उनके वारिसानों को कोई नोटिस दिया गया था, अत: परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत दिया आवेदन स्वीकार किया जाता है ।

6. राजस्व निरीक्षक जिला हरदा का सीमांकन आदेश दिनांक 18-06-2014 निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार हरदा को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदिका के वारिसों/कब्जाधारियों एवं अनावेदकगणों की भूमियों का सीमांकन विधिवत फीस जमाकराकर एवं विधिवत सूचना देने के उपरांत तीन माह की समय सीमा में पुन: सीमांकन किया जाये ।

7. यह आदेश उभय पक्षों एवं तहसीलदार पर बंधनकारी होगा ।

8. आदेश की प्रति हरदा तहसीलदार को आगामी कार्यवाही हेतु भेजी जाये ।

सदस्य 10.9.2018

(2) (1)